बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/वि०3–26/2015 220 पटना, दिनांक: 03.09.19

कार्यालय आदेश

श्री राकेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, इटाढ़ी, बक्सर संप्रति सेवानिवृत प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, हरनौत प्रखंड, नालंदा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक– 04–0332/आ० दिनांक–24.04.2015 द्वारा गठित आरोपों के लिए निदेशालय के का०आ०सं०–121 सहपठित ज्ञापांक–738 दिनांक–16.06.2015 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), बक्सर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया । निदेशालय के का०आ०सं०–329 सहपठित ज्ञापांक–1960 दिनांक–27.09.2018 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम– 43(बी) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में परिवर्तित किया गया।

2. श्री राकेश कुमार सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा समर्पित मंतव्य एवं अभिलेख में उपलब्ध अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, बक्सर के पत्रांक 03–3287/रा० दिनांक–11.12.2018 द्वारा जॉच प्रतिवेदन में निम्न मंतव्य दिया गया है:–

आरोपित कर्मी के विरूद्ध खरीफ विपणन मौसम 2011–12 में धान अधिप्राप्ति के क्रय में जितनी धान की मात्रा का गबन का आरोप लगाया गया है, उतनी धान की मात्रा का गबन प्रमाणित नहीं हो पाया है। आरोपित कर्मी के विरूद्ध गठित धान अधिप्राप्ति संबधी आरोप के विरूद्ध उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में धान अधिप्राप्ति के लिए प्रशासी विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर से आरोपित कर्मी के क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में रहने के दौरान हुए धान की क्षति/गबन के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग इस कार्यालय के पत्रांक–03–2501/रा० दिनांक–23.08.2018 से की गई। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम , बक्सर का पत्रांक–867/ रा० खा० नि० दिनांक–14.09.2018 से वांछित प्रतिवेदन

" जन्म हो या मरण, जरूरी हॅ पंजीकरण"

प्राप्त है, जिसमें उनके द्वारा साक्ष्य आधारित प्रतिवेदन दिया गया है कि आरोपित कर्मी श्री राकेश कुमार सिन्हा के क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में कार्यरत रहने के दौरान 26.68 क्विंटल धान की क्षति/गबन हुई है। आरोपित कर्मी द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ उपलब्ध कराये गये दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा भी गणनोंपरान्त उनके कार्यकाल में 26.68 क्विंटल धान की क्षति/गबन प्रमाणित होता है। इस प्रकार आरोपी कर्मी श्री राकेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, इटाढ़ी, बक्सर संप्रति हरनौत प्रखंड, नालंदा के विरूद्ध गठित प्रपत्र पत्र 'क' में अंकित 248.61 क्विंटल धान की क्षति/गबन के आरोप के विरूद्ध मात्र 26.68 क्विंटल धान के क्षति/गबन का आरोप प्रमाणित पाया गया।

3. संचालन प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) में किये गये प्रावधान के आलोक में निदेशालय के पत्रांक–53 दिनांक– 09.01.2019 द्वारा श्री राकेश कुमार सिन्हा से अभ्यावेदन की मॉग की गयी। स्मारित किये जाने के बाद भी श्री राकेश कुमार सिन्हा द्वारा अभ्यावेदन नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में श्री राकेश कुमार सिन्हा से अभ्यावेदन प्राप्त करने हेतु समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक –14.06.2019 को प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया जिसमें श्री सिन्हा को सूचित किया गया कि वे प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर संचालन पदाधिकारी के समर्पित संचालन –सह–जॉच प्रतिवेदन पर अपना अभ्यावेदन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को देना सुनिश्चत करें ; अन्यथा यह माना जायेगा कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, और निदेशालय एकतरफा अग्रेत्तर कार्रवाई करने को स्वतंत्र होगा। दैनिक जागरण में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बावजूद श्री सिन्हा द्वारा अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि श्री सिन्हा इस मामले में अपना अभ्यावेदन समर्पित नहीं करना चाहते हैं।

इस प्रकार श्री राकेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, इटाढ़ी, बक्सर संप्रति सेवानिवृत प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, हरनौत प्रखंड, नालंदा पर 26.68 क्विंटल धान की क्षति/गबन का आरोप प्रमाणित होता है।

6. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राकेश कुमार सिन्हा पर उनके पेंशन से 5 % (पॉच प्रतिशत) पेंशन की राशि पॉच वर्ष के लिए जब्त करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राकेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, इटाढ़ी, बक्सर संप्रति सेवानिवृत पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) मे किये गये प्रावधान के तहत उनके पेंशन से 5 % (पॉच प्रतिशत) पेंशन की राशि पॉच वर्ष के लिए जब्त करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/वि०3–26/2015 1636 पटना, दिनांक :– 03/09/19

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, बक्सर को उनके पत्रांक 04–0332/आ०दिनांक–24.04.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर /नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. प्रंखड विकास पदाधिकारी, हरनौत प्रखंड, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री राकेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, इटाढ़ी, बक्सर संप्रति सेवानिवृत, द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ एवं इसका तामिला कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक 04/09

" जन्म हो या मरण, जरूरी हॅ पंजीकरण"